

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/1/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 9 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चांदबड़ विकासखंड एवं जिला सीहोर, ग्राम देखली खुर्द विकासखंड गरोठ, ग्राम पांगा विकासखंड भानपुरा, ग्राम प्रतापपुरा जिला मंदसौर, ग्राम परासी, ग्राम छपरोड, ग्राम चिचरिया विकासखंड मानपुर जिला उमरिया, ग्राम सुपेली विकासखंड बहोरीबंद जिलाकटनी एवं ग्राम ककोड़ी विकासखंड किरनापुर जिला बालाघाट में 9 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	9 उप स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	9
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	9

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना सामान्य - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग भोपाल ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्ट, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/1/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 6 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खैराकलां विकासखंड बिजावर जिला छतरपुर, ग्राम सिलपुरी विकासखंड श्योपुर जिला श्योपुर, ग्राम अलवासा विकासखंड सावेंर जिला इंदौर, ग्राम पलसोडा एवं ग्राम फतेहपुर विकासखंड बडनगर जिला उज्जैन, एवं ग्राम नाग गुराड़िया विकासखंड महिदपुर जिला उज्जैन में 6 उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	6 उप स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	6
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	6

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-4/06/17/मेडि-3
प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भोपाल दिनांक 16/1/08

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्ट, म.प्र. ।
5. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
6. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
7. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 16/1/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : ग्राम सिपलई विकासखंड एवं जिला बैतूल मे नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिपलई विकासखंड एवं जिला बैतूल में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 29.2.08 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	उप. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	1
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	1

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 41 - आदिवासी क्षेत्र 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0102 - आदिवासी उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-16/07/17/मेडि-3
प्रतिलिपि - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

भोपाल दिनांक 16/1/08

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला बैतुल म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतुल म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 2 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम अकलामा विकासखंड अमरवाड़ा जिला छिंदवाड़ा, ग्राम मांडवी विकासखंड जावरा, जिला रतलाम में उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	2 उप स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	2
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	2

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना सामान्य - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
4. कलेक्टर, जिला छिंदवाड़ा/रतलाम म.प्र. ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा/रतलाम म.प्र. ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा/रतलाम म.प्र. ।
7. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, म.प्र. भोपाल ।
8. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 12 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न सूची अनुसार 12 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	12 उप स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	12
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	12

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

12 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना की सूची

क्रमांक	नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विकासखंड	जिला
1	मुबनपुरा	गोहद	भिण्ड
2	अंचामा	गोहद	भिण्ड
3	बरोठा	सबलगढ़	मुरैना
4	बंधाचंदोली	बड़ामल्हरा	छतरपुर
5	गोरखपुरा	बड़ामल्हरा	छतरपुर
6	सोरखी	बड़ामल्हरा	छतरपुर
7	बरेठी	बड़ामल्हरा	छतरपुर
8	महाराजगंज	बड़ामल्हरा	छतरपुर
9	चंदना	तेंदूखेड़ा	दमोह
10	महूवा	सीतामऊ	मंदसौर
11	धापर	आष्टा	सीहोर
12	चुपाड़िया	आष्टा	सीहोर

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. संबंधित कलेक्ट, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, म.प्र. भोपाल ।
9. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक 24/5/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 4 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम चिखली एवं ग्राम जानपुर विकासखंड बिरसा जिला बालाघाट, ग्राम झापड़ी एवं ग्राम तारा विकासखंड शाहपुर, जिला बैतुल में 4 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	4 उप. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	4
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	4

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 41 - आदिवासी क्षेत्र 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0102 - आदिवासी उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक 24/05/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला बैतुल/बालाघाट म.प्र. ।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतुल/बालाघाट म.प्र. ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, जिला बैतुल/बालाघाट म.प्र. ।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, म.प्र. भोपाल ।
9. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक /05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 16 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा सामान्य क्षेत्र के अंतर्गत संलग्न सूची अनुसार 16 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	16 उप स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	16
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	16

उपरोक्त पर होने वाला व्यय मांग संख्या-19 लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण 2210 चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य 03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0101 - राज्य आयोजना सामान्य - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 8.5.2008 में की गई अनुशंसा के परिपेक्ष्य में जारी की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
3. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
4. संबंधित कलेक्ट, म.प्र. ।
5. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवाएँ, म.प्र. ।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, म.प्र. ।
7. संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, म.प्र. ।
8. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, म.प्र. भोपाल ।
9. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

16 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों के स्थापना की सूची

क्रमांक	नवीन उपस्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विकासखंड	जिला
1	ग्राम झिलमिली	चौरई	छिंदवाड़ा
2	ग्राम रेवा बनखेड़ी	सोहागपुर	होशंगाबाद
3	ग्राम छपरा	मझोली	जबलपुर
4	ग्राम दर्शनी	मझोली	जबलपुर
5	ग्राम मुरैठ	मझोली	जबलपुर
6	ग्राम भमका	पाटन	जबलपुर
7	ग्राम पिपरियाकला	पाटन	जबलपुर
8	ग्राम दलौदा चौपाटी	मंदसौर	मंदसौर
9	ग्राम पटेला	मंदसौर	मंदसौर
10	ग्राम भियापुरा	राजगढ़	राजगढ़
11	ग्राम बगा	राजगढ़	राजगढ़
12	ग्राम माचलपुर	राजगढ़	राजगढ़
13	ग्राम बरैती	जवा	रीवा
14	ग्राम खमरिया चौबे	सिरमौर	रीवा
15	ग्राम उणी	जावरा	रतलाम
16	ग्राम बीरपुर डेम	सिहोर	सिहोर

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक /05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 8 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम निवारी विकासखंड एवं जिला भिण्ड, ग्राम चरोड़ा विकासखंड एवं जिला मुरैना, ग्राम उरेठी विकासखंड पोरसा जिला मुरैना, ग्राम पलसावद विकासखंड मोमनबड़ोदिया जिला शाजापुर, ग्राम भैंसा, ग्राम ढावलाधीर, ग्राम गढ़ा विकासखंड कालापीपल जिला शाजापुर, ग्राम धुलेटिया विकासखंड घटिया जिला उज्जैन में 8 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	8 उप स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	8
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	8

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 64 -अनुसूचित जाति उपयोजना 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0103 - अनुसूचित जाति उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 8.5.2008 में की गई अनुशांसा के परिपेक्ष्य में जारी की गई है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक /05/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला भिण्ड/मुरैना/शाजापुर/उज्जैन म.प्र. ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला भिण्ड/मुरैना/शाजापुर/उज्जैन म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला भिण्ड/मुरैना/शाजापुर/उज्जैन म.प्र. ।
9. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, म.प्र. भोपाल ।
10. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय

क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3
प्रति,

भोपाल दिनांक /05/08

आयुक्त,
स्वास्थ्य सेवायें,
मध्यप्रदेश, भोपाल ।

विषय : 6 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना ।

राज्य शासन, एतद् द्वारा आदिवासी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम भितरी, ग्राम करपा विकासखंड पुष्पराजगढ़ जिला अनुपपूर, ग्राम लखनपुर, ग्राम ताराडीड विकासखंड जैतहारी जिला अनुपपूर, ग्राम घोलियापानी विकासखंड निवाली जिला बड़वानी, ग्राम मोहगॉव विकासखंड मोहगॉव जिला मंडला में 6 नवीन उप स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना किये जाने तथा उक्त संस्था में निम्नानुसार नवीन पदों को अस्थाई रूप से दिनांक 28.2.09 तक निर्मित करने की स्वीकृति भी प्रदान करता है :-

क्रमांक	पदनाम	वेतनमान (रु)	6 उप. स्वा. के. के लिये कुल पद संख्या
1	महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	6
2	पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	3050-4590	6

उपरोक्त में होने वाला व्यय मांग संख्या 41 - आदिवासी क्षेत्र 2210-चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य-03- ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-एलोपैथी - 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र - 0102 - आदिवासी उपयोजना - 7317 - ग्रामीण चिकित्सा संस्थाओं का उन्नयन के अंतर्गत विकलनीय होगा।

यह स्वीकृति परियोजना परीक्षण समिति की बैठक दिनांक 8.5.2008 में की गई अनुशांसा के परिपेक्ष्य में जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(ए.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पृ. क्रमांक/एफ 1-2/08/17/मेडि-3

भोपाल दिनांक /05/08

प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, भोपाल ।
3. महालेखाकार म.प्र. ग्वालियर ।
4. समस्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म0प्र0 भोपाल ।
5. कलेक्टर, जिला अनुपपूर, बड़वानी, मंडला म.प्र. ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, म.प्र. ।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला अनुपपूर, बड़वानी, मंडला म.प्र. ।
8. जिला कोषालय अधिकारी, जिला अनुपपूर, बड़वानी, मंडला म.प्र. ।
9. कोषालय अधिकारी, वल्लभ भवन कोषालय, म.प्र. भोपाल ।
10. अवर सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, कक्ष-1, मंत्रालय भोपाल ।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग